न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 137 / 2021

(GCMS 2024/227)(21263901094473)

राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

15.07.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 16.06.2020 को प्रस्तुत कर चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. पंजीयन अधिनियम की जिस धारा में सहवन शब्द का उल्लेख किया हुआ है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. स्टाम्प अधिनियम में सहवन शब्द का उल्लेख किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रति।
3. लिपिकीय, मूल शब्द, पंजीयन एवं स्टाम्प अधिनियम में अंकित धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:52 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. दस्तावेज को प्रस्तुत करने के उपरांत व निष्पादन के उपरांत सहवन शब्द के आधार पर संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति व इस सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने यह अपील उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश किया है। प्रकरण उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 का क्रम संख्या –4 निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

<u>कार्यालय आदेश</u>

संयुक्त शासन सचिव वित्त कर विभाग जयपुर के पत्रांक प. 23(16)वित्त/कर/2008 जयपुर दिनांक 22.11.16 की अनुपालना में इस विभाग के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 2(31)सू.अ./मार्गदर्शन/1261 दिनांक 28.11.11 को निम्नानुसार संशोधन कर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये जाते है:

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
4	समस्त उप पंजीयक (पूर्ण कालीन एवं पदेन) (उनके कार्यालय के लिए)	[illegible] उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

महानिरीक्षक, **पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश के अनुसार उप पंजीयक के विरूद्ध** प्रथम अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को है। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अद्योहस्ताक्षर को न होने के कारण, अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:47:52 IST
Reason: SelfAttested